(39)

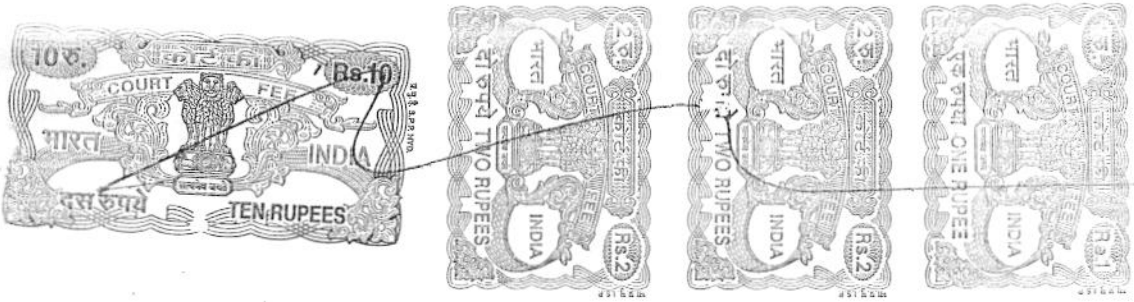

समक्ष माननीय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. ।

प्र. क. ..../13--14 / निगरानी

निग. 910-III-14

13-3-14

13-3-14 4.25

1. रामदयाल पुत्र देवलाल
2. नन्दा उर्फ नंदकिशोर पुत्र रामदयाल ढीमर निवासीगण ग्राम सावौली तहसील नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.।

......निगरानी याचिकाकर्ता

विरूद्व

घनश्याम पुत्र मनकाराम जाति गडरिया निवासी ग्राम सावौली तहसील नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.।

..................प्रति निगरानीकर्ता

विनोद मालिक
एडवोकेट
ग्वालियर
13-3-14

निगरानी अंतर्गत धारा –50 सहपठित धारा 8 म.प्र. भू.रा.स. 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 22.02.14 प्रकरण कमाक 08/13–14/अ–70 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.।

//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग/910-तीन/14 जिला-शिवपुरी

रामदयाल आदि विरूध घनश्याम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/5/19	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री विनोद भार्गव उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 08/2013-14/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 22/02/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 8 का उपयोग किये जाने की सार्थकता आवेदक सिद्ध नहीं कर सके। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरीके न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 10/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 15/5/19	